eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

# जेंडर आधारित हिंसा से प्रभावित स्त्रियों के मामलों पर एक विश्लेषण

[1]पंकज यादव
[2]प्रो.(डा.) दीप्ति जौहरी
[1]शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली
[2]प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, बरेली

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

## Abstract

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में यदि महिलाओं की प्रास्थिति पर दृष्टि डाली जाये तो हम पायेंगे कि यह उत्तरोत्तर सुदृढ हुई है। किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि सुदृढ होती इस स्थिति के बाद भी हमारे समाज में बालिकायें व स्त्रियां आज भी कहीं न कहीं अपने आप को असुरक्षित पाती हैं। दहेज, दुराचार, यौन शोषण, एसिड अटैक एवं ऑनर किलिंग जैसे जेंडर आधारित हिंसा के मामले हमारे तथाकथित विकसित समाज में आज भी महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं। हाल ही में ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में देश का नाम रोशन कर चुकी महिला खिलाड़ियों द्वारा सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने का मामला हो या मणिपुर में खुलेआम पुरुषों की भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिन–दहाड़े यौन उत्पीड़न किये जाने का क्रूरतम स्तर का मामला हो, हम इस कथित तौर पर विकसित हो चुके समाज में अद्यतन स्त्रियों को जेंडर भेदभाव झेलते हुये यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के मामलों से अछूता नहीं पाते हैं। हाल ही में द हिन्दू में जनवरी 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कोई सुसंगत कानून और कानूनी प्रक्रिया के अभाव में एसिड अटैक के पीढ़ितों को न्याय मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। यह सब स्थितियां बताती हैं कि भारत में महिलायें/लड़कियां गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु अद्यतन संघर्षरत हैं और जब जेंडर आधारित भेदभावपूर्ण स्थितियां अस्तित्व में रहेंगीं, तो निश्चित तौर पर ही जेंडर विषमता का दंश झेलने वाले जेंडर के लोगों के विरुद्ध अपराध का ग्राफ बढ़ने की सम्भावनायें बढ़ेंगीं ही।

**शब्द संक्षेप–** जेंडर आधारित हिंसा, प्रभावित स्त्रियां के मामले, यौन उत्पीड़न एवं गरिमा।

## Introduction

प्रश्न यह है कि हमारी विभिन्न लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा समय–समय पर इस जेंडर आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से आधी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए जो नीतियॉ बनाई जाती हैं, उन नीतियों के वजूद में आने के बाद भी हम इन समस्याओं से आज तक निजात क्यों नहीं पा सके हैं? जहॉ तक हमारे शासन व प्रशासन की बात है तो इस तन्त्र में महिलाओं की भागीदारी निरन्तर बढ़ी है। नीति–निर्धारण में भी महिलाओं की भूमिका को शून्य नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में आधी आबादी हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, बाबजूद इसके इन ज्वलन्त समस्याओं का अस्तित्व में रहना हमारी सरकार की नीतियों व उनके यथार्थ क्रियान्वयन पर निश्चित रूप से प्रश्न चिह्न लगाने का कार्य ही कर रहा है। सम्भव है कि हम इन समस्याओं का निदान करने में कहीं भटक गये हों या फिर हमारी सरकारों द्वारा इन समस्याओं के उपचार हेतु मौलिक कारणों पर विचार ही न किया गया हो। वर्तमान शोध–पत्र जेंडर आधारित हिंसा के उन मामलों की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

स्थिति व इन स्थितियों से निपटने हेतु सरकारी मशीनरी द्वारा किये गये प्रयासों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया है, जिन मामलों में यौन शोषण, ऑनर किलिंग व एसिड अटैक के कारण बालिकायें/स्त्रियां प्रभावित हुईं हों, साथ जेंडर आधारित हिंसा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आलोक में भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान शोध में अध्ययनकर्ता ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिवेदनों के माध्यम से आंकड़ों को संग्रहित कर उद्देश्यों के अनुरूप उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षों पर पहुॅचने के प्रयास में अध्ययनकर्ता ने इस बावत दृष्टि डालने का भी प्रयास किया है कि सरकारी स्तर पर महिलाओं के प्रति यौन शोषण, ऑनर किलिंग व एसिड अटैक के मामलों से निपटने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने की स्थितियां उपलब्ध कराने हेतु किस तरह के प्रयास किये गये हैं अथवा कानून बनाये गये हैं, एवं इन कानूनों के वजूद में आने के बाद भी महिलायें आज भी स्वयं को इस तरह के मामलों से पीड़ित क्यों पाती हैं?

## अध्ययन की अवधारणात्मक पृष्ठभूमि–

**स्त्रियों के प्रति जेंडर आधारित हिंसा की पृष्ठभूमि–** स्त्रियों के प्रति जेंडर आधारित हिंसा को समझने से पूर्व हिंसा के प्रत्यय को समझ लेना भी आवश्यक है। हिंसा की बात की जाये, तो हिंसा एक ऐसा व्यवहार या आचरण है, जो किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक तौर पर हानि पहुंचाने का कार्य करता है। प्रत्येक हिंसा के मूल में भय व असुरक्षा की भावना होती ही है। स्त्रियों के सन्दर्भ में जेंडर आधारित हिंसा की बात की जाये तो इसके मूल में पुरुषों की अवचेतना में स्त्रियों द्वारा संसाधनों पर काबिज हो जाने का भय और इस भय से उत्पन्न असुरक्षा के साथ–साथ इसके फलस्वरूप उत्पन्न अविश्वास का भाव भी होता है। यही सब स्थितियां मिलकर स्त्रीद्वेष की भावना को जन्म देती हैं, जो कालांतर में स्त्रियों के प्रति जेंडर पूर्वाग्रह का मूल कारण बनती है। स्त्रीद्वेष सभी प्रकार के समाजों में इतना गहरा गुंथा हुआ है कि कई बार यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर ही नहीं होता। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों के प्रति जेंडर आधारित हिंसा एक तात्कालिक उन्माद है, परन्तु इसके मूल में कालांतर से चले आ रहे विभिन्न स्त्रीद्वेष ही होते हैं।

हमारी सामाजिक संरचना में गहरी पैठ बना चुके जेंडर पूर्वाग्रहों के कारण हमारा समाज, परिवार, उसकी परम्परायें, रहन–सहन के तरीके, मूल्य व आचरण सभी स्त्रियों को लगातार विभिन्न अवसरों और संसाधनों से वंचित कर उन्हें हाशिये पर रखे जाने के पक्षधर होते चले जाते हैं। स्त्रियों के प्रति जेंडर आधारित हिंसा की भूमिका बचपन से ही बनना प्रारम्भ हो जाती है, जो कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं के अल्पपोषण, दोयम दर्जे की स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधायें, लड़कियों को पराया धन समझने की धारणा, परिवार के सम्मान का हवाला देकर उन्हें घर में कैद करने और सुरक्षा के उपाय हेतु चिंतित रहने जैसी तमाम स्थितियों के रूप में परिलक्षित होती रहती है। एक अबोध बालिका से लेकर एक वृद्ध महिला बनने के अपने जीवनकाल में स्त्री लगातार असुरक्षाबोध के साथ जीवन व्यतीत करती है और चाहे–अनचाहे अप्रत्यक्ष तौर पर मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने से वंचित रहती है। वह एक ऐसे कथित आदर्श समाज में बड़ी होती है, जहां उसको अक्सर ही विपरीत जेंडर द्वारा असुरक्षित होने का अहसास कराया जाता है। समाज को जेंडर पूर्वाग्रहों से मुक्त कर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उसे सभी के लिये समान रूप से सुरक्षित बनाने के बजाय स्त्रियों पर स्वयं ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहन करने का अनचाहा बोझ डाल दिया जाता है। स्त्रियों के प्रति जेंडर आधारित किसी भी प्रकार की हिंसा के लिये आरोपी से अधिक उत्पीड़ित स्त्री को दोषी ठहराया जाता है, यहां तक कि कई बार तो स्त्रियों को अपराध हेतु प्रेरित करने वाले उद्दीपक के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है। कोई समाज अपनी संरचना और प्रशासन के असफल होने की जिम्मेदारी नहीं लेता कि वह अपने समाज के लिये उपयोगी होने की सम्भावना रखने वाले मानव संसाधन के रूप में स्त्री को एक सुरक्षित और मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन नहीं दे पा रहा। एक स्त्री को मानवीय गरिमा के अनुरूप सम्मानजनक जीवन देने लायक सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण वातावरण न दे पाना भी तो समाज के विभिन्न अभिकरणों की असफलता ही है। प्रत्येक हिंसा, अंततः आत्महिंसा ही होती है। असुरक्षा–बोध से उपजा भय तथा विफलता–बोध ही आत्महिंसा के कारण होते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिफलित होते हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी विस्फोट कर सम्पूर्ण सामाजिक संरचना के ताने–बाने को प्रभावित करते हैं।

**अध्ययन का परिसीमन–** यद्यपि मानव सभ्यता की जड़ों में गुंथी हुई और कालान्तर से चली आ रही जेंडर आधारित हिंसा विभिन्न रूपों में सभी मानव समाजों और पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं में दृष्टिगोचर होती है और इस पर अलग से विभिन्न शोध किये जा सकते हैं, परंतु अध्ययन के क्षेत्र को परिसीमित करने के उद्देश्य से इस अध्ययन में जेंडर आधारित हिंसा के अर्न्तगत स्त्रियों के प्रति यौन शोषण, एसिड अटैक और ऑनर किलिंग के मामलों को ही समाहित किया गया है।

**अध्ययन की आवश्यकता व महत्व–** ऐसे समय में जब भारत विकास के पथ पर निरन्तर तेजी से अग्रसर हो रहा है, भारत में महिलाओं के प्रति जेंडर आधारित हिंसा यथा–यौन उत्पीड़न, ऑनर किलिंग व एसिड अटैक जैसे मामले आना हमारे सामाजिक विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नैसर्गिक तौर पर पुरुषों के समान अधिकार रखने के वाली सृष्टि की जननी का सम्मान और सुरक्षा जिस समाज में चिन्ता के स्वरों में घिरता हुआ प्रतीत हो उस समाज का भविष्य बहुत सुरक्षित तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह समझना जरुरी है कि हमारी सामाजिक संरचना के गठन में किन परिप्रेक्ष्यों में चूक हुई है कि एक ओर जहां हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के धनी होने की बात करते हैं, विश्वगुरु होने का दम्भ भरते हैं, वहीं कालान्तर से इस देश में महिलाओं को मानवीय गरिमा के अनुरूप अधिकार व अवसर उपलब्ध न होने के भी तमाम साक्ष्य मिलते हैं। समकालीन समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे ऐसे कृत्यों के मूल कारणों को जानने और उनकी प्रकृति को समझने की दृष्टि से ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रस्तुत अध्ययन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष देश के नीति निर्धारकों, योजनाकारों, शिक्षाविदों को इस सन्दर्भ में चिंतन करने हेतु प्रेरित करेंगे कि हमारे सामाजिक, शैक्षिक और नीतिगत तानेबाने में कौन से सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जो जेंडर आधारित विषमताओं को दूर कर स्त्रियों को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हों। शैक्षिक दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में, पाठयक्रम में, सामाजिक ढ़ांचे में व नीतियों में कौन से ऐसे परिवर्तन लाये जायें कि भविष्य में हम एक आदर्श जेंडर संवेदनशील समाज स्थापित कर सकें और हमारे समाज

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

में महिलाओं के प्रति इस तरह के नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित ही न हों, साथ ही हम महिलाओं को समान रूप से अपने सामाजिक विकास में पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकें। अध्ययनकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इन समस्याओं का समाधान शैक्षिक दृष्टि से खोजने का प्रयास किया है, यदि नीति–निर्धारकों व शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ तो अध्ययन के परिणामों का सकारात्मक महत्व उजागर हो सकेगा।

**उद्देश्य–**

1. महिलाओं के प्रति यौन शोषण के मामलों की स्थिति और उनसे निपटने के लिये किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
2. महिलाओं के प्रति एसिड अटैक के मामलों की स्थिति और उनसे निपटने के लिये किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
3. महिलाओं के प्रति ऑनर किलिंग के मामलों की स्थिति और उनसे निपटने के लिये किये गये प्रयासों का विश्लेषण करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा हेतु किये गये प्रयासों के आलोक में जेंडर आधारित हिंसा का विश्लेषण करना।

**शोध–विधि–** वर्तमान अध्ययन में द्वितीयक ऑकड़ों का सर्वेक्षण किया गया है। इसके लिये अनुसन्धानकर्ता ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनों से ऑकड़ों का संग्रहण किया है और उद्देश्यों के अनुरूप ऑकड़ों का विश्लेषण किया है।

**महिलाओं के प्रति यौन शोषण–** भारत जैसे विकासशील देश में वैश्वीकरण के प्रभाव के चलते वर्तमान में आधी आबादी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिस तरह से बालिकाओं/महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है, वह आधी आबादी के बढ़ते वर्चस्व का ही परिचायक है। लेकिन हमारी सामाजिक संरचना में शुरुआत से ही गहरी जडें कर चुकी जेंडर आधारित विषमता कालान्तर से आज तक हमारे समाज में व्याप्त है और इसी विषमता के कारण एक समस्या हमारे समाज को आये दिन प्रभावित करती रहती है और वह है महिलाओं का यौन शोषण।

विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए यह एक बड़ी समस्या है, उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आये दिन जेंडर आधारित भेदभाव और यौन शोषण जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इस पुरुष प्रधान समाज में आये दिन महिलाओं का व्यवहारिक या शारीरिक यौन शोषण होना सामान्य सा है। इसके अतिरिक्त नवयुवतियों को जब अपने आस पास के माहौल, परिवार एवं विद्यालय जैसे स्थानों पर भी यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। हाल ही में सांसद बृजभूषण सिंह पर ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ियों द्वारा आरोप लगाने और मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुरुषों की भीड़ द्वारा उनका यौन उत्पीड़न करने के जघन्यतम मामले कथित तौर पर महिलाओं को देवी का दर्जा देने वाले हमारे जेंडर संवेदनशील और आदर्श समाज की पोल खोलने का ही काम कर रहे हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

**महिलाओं के प्रति एसिड अटैक –** वर्तमान भौतिकवादी युग में युवावर्ग की भावनाओं का विकृत रूप विभिन्न रूपों में उभरकर सामने आने लगा है। नवयुवकों की भावनाओं के इस विकृत रूप और उनके अवचेतन में सुदृढ़ हो चुकी जेंडर विषमता के फलस्वरूप ही महिलाओं व युवतियों के प्रति एसिड अटैक जैसे मामले हमारे समाज में आये दिन सामने आते हैं। सामाजिक संरचना में गहरी जड़ें बना चुकी जेंडर विषमता पुरुषों और नवयुवकों के अवचेतन में एक श्रेष्ठता का भाव विकसित करती ही हैं, जिसके फलस्वरूप वे महिलाओं व लड़कियों को अपने अधीन मानते हैं। पितृसत्तात्मक समाज के युवाओं और पुरुषों की अवचेतना में घर कर चुका ये श्रेष्ठता का भाव ही उन्हें स्त्रियों/लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु की भांति प्रयोग करने हेतु प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त भौतिकवाद की दौड़ में पुरुष व लड़के जिस तरह से भावनाओं के ज्वार को सम्भाल नहीं पा रहे हैं, वह वास्तव में हमारे समाज के लिये हानिकारक साबित हो रहा है। प्रायः युवतियों द्वारा जब युवकों के प्रेम व विवाह जैसे प्रस्तावों को ठुकराया जाता है या किसी अनैतिक व्यवहार पर आपत्ति जताई जाती है, तब अक्सर ही एसिड अटैक जैसी जेंडर आधारित हिंसा हमारे इस तथाकथित आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। आमतौर पर ऐसे मामलों के पीछे सामाजिक संरचना में व्याप्त जेंडर आधारित विषमता और इस विषमता से प्रभावित जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न पुरुषों/युवकों की श्रेष्ठता और स्त्रियों को स्वयं का अधीन मानने का भाव ही होता है।

**महिलाओं के प्रति ऑनर किलिंग–** ऑनर किलिंग के मामलों की पड़ताल करने से पूर्व ऑनर किलिंग की अवधारणा को स्पष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। मानव सभ्यता के इतिहास में जेंडर आधारित सामाजिक संरचना और उसमें व्याप्त विषमता के चलते सभी सभ्यताओं में पारिवारिक स्थिति पितृसत्तात्मक ही रही है, जबकि आधी आबादी को सभ्यता के आरम्भ से ही हाशिये पर रखा गया है। पितृसत्तात्मक पारिवारिक स्थिति के परिणामस्वरूप एवं विशेष रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में धीरे–धीरे मानव सभ्यता में यह विचार भी पनपने लगा कि घर की महिला सदस्य यथा–पत्नी, माँ, पुत्री, बहन आदि परिवार का आभासी सम्मान होती हैं, उनके आचरण की शुद्धता अथवा कौमार्यता परिवार के सम्मान हेतु आवश्यक है। जब भी किसी परिवार की महिला सदस्य द्वारा इस कथित आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है, धर्म–जाति के बाहर स्वेच्छा से विवाह कर लिया जाता है, प्रेम सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं अथवा अनैतिक रूप से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं, तब जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं के अनुसार परिवार की सामाजिक स्थिति व सम्मान का स्तर गिरता है।

इस धारणा ने पुरुष प्रधान समाज में सदैव ही महिलाओं की स्वच्छन्दता का विरोध किया है व उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। जब कभी भी किसी पितृसत्तात्मक परिवार की इस तथाकथित सामाजिक स्थिति व सम्मान में किसी महिला के तथाकथित अनैतिक कृत्य के कारण गिरावट आती है, तो परिवार के पुरुषों द्वारा अपने परिवार की महिला सदस्य की हत्या किया जाना ही ऑनर किलिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक ढांचें में जहॉ रुढ़ियों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, ऑनर किलिंग के मामले आये दिन सामने आते रहते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि ऑनर किलिंग के मामलों की बात की जाये तो भारत सहित ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, ईराक, सउदी अरब, इजिप्ट, फिलस्तीन, जॉर्डन, बांग्लादेश, अल्जीरिया,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

ब्राजील, मोरक्को, इजरायल, यूथोपिया, हॉलैण्ड, जर्मनी, इटली, यमन आदि देशों में एवं खासतौर से इस्लामिक देशों में आये दिन ऑनर किलिंग के नाम पर महिलाओं की हत्यायें की जाती रही हैं।

## आंकड़ों का विश्लेषण–

**महिलाओं के प्रति यौन शोषण के मामलों से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण–** यौन शोषण के मामलों को लेकर भारत में कानून की बात की जाये तो हाल ही के वर्षों में कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति यौन शोषण अधिनियम 2013 में पारित किया गया, जिसमें यौन शोषण को विस्तारपूर्वक परिभाषित किया गया एवं विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं के प्रति यौन शोषण के मामलों को कानूनी दायरे में लाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त भी आईपीसी की धारा 204, 354 (A), 354 (C) व 509 जैसी धारायें महिलाओं को यौन शोषण के मामलों में संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती हैं।

उपर्युक्त कानूनों के होते हुए भी भारत में यौन शोषण के मामलों की बात की जाये तो ऑकड़े स्वयं बयां करते हैं कि महिलायें भारत में अपने कार्यस्थलों में स्वयं को कितना सहज पाती हैं। वर्ष 2014 में मोबाइल एप्लीकेशन कम्पनी निम्बज द्वारा "निम्बज–पल्स ऑफ द नेशन" नामक सर्वे के माध्यम से भारतीय कामकाजी महिलाओं पर एक सर्वे किया गया, जिसके आधार पर पाया गया कि भारत में 47 प्रतिशत महिलायें स्वयं को कार्यस्थलों पर यौन शोषण का शिकार पाती हैं। FICCI द्वारा वर्ष 2013 में किये गये एक सर्वे के मुताबिक 249 शिकायतें इस वर्ष उत्पीड़न से सम्बन्धित पंजीकृत हुई थीं, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित 526 मामले पंजीकृत हुए, जोकि गतवर्ष के मुकाबले लगभग दो गुने थे। फिक्की द्वारा किये गये उपरोक्त सर्वे में भारत में काम कर रही 34 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय व 47 प्रतिशत भारतीय कम्पनियों द्वारा यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुरूप अपने यहॉ यौन उत्पीड़न मामलों से सम्बन्धित प्रकोष्ठ के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना बाकी था। फिक्की की इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में भागीदारी करने वाली 35 प्रतिशत कम्पनियॉ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले दण्डात्मक परिणामों के प्रति जागरूक ही नहीं थीं, जबकि 38 प्रतिशत कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के प्रावधानों से अनभिज्ञता जताई गई एवं 44 प्रतिशत कम्पनियों द्वारा अपने कार्य परिसर में इन प्रावधानों के दण्डात्मक परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से किसी भी डिस्पले बोर्ड अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रदर्शित ही नहीं किया गया था।

वर्ष 2014 में लोक सभा में एक लिखित प्रत्यावेदन के माध्यम से तत्कालीन केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मन्त्री मेनका गांधी ने कहा कि वर्ष 2014 में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित कुल 526 मामले दर्ज किये गये, जिनमें से 57 मामले कार्यालय परिसर से व 469 मामले अन्य कार्यस्थलों से सम्बन्धित थे। हालिया आंकड़ों की बात की जाये तो देश की लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर ही ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी महिला खिलाड़ियों की ओर से आईपीसी की धारा 354 जिसमें किसी महिला की शीलता भंग करना शामिल है, के अतिरिक्त धारा 354 ए जोकि यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित है एवं 354 डी. जो कि किसी महिला का पीछा करने से सम्बन्धित है, के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

तहत यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये गये और दिल्ली पुलिस द्वारा इस सांसद पर यह आरोप तय भी किये गये हैं, बाबजूद इसके हमारा तथाकथित आदर्श समाज पीढ़ित महिला खिलाड़ियों का विरोध जताते हुए आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ा नजर आता है। ये सब आंकड़े व स्थितियां स्वयं बयां करते हैं कि तमाम नियम–कानूनों के बाद भी महिलायें कार्यस्थलों पर स्वयं को कितना सुरक्षित पाती हैं।

**महिलाओं के प्रति एसिड अटैक के मामलों से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण–** महिलाओं के प्रति एसिड अटैक के मामलों का विश्लेषण करने से इस बावत सरकारी नीतियों पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। किसी भी देश की नीतियॉ उस देश के कानूनों में प्रतिबिम्बित होती हैं, क्योंकि नीति–निर्धारकों द्वारा नीतियों का यथार्थ कार्यान्वयन नीतियों को कानूनी रूप देने पर ही सम्भव है। यदि भारत में एसिड अटैक जैसे अपराध की बात की जाये तो उसे फरवरी, 2013 से पहले पृथक अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया था। भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी में एसिड अटैक के मामलों को पृथक श्रेणी का अपराध न मानकर धारा 320, 322, 325 व 326 आईपीसी के अर्न्तगत पीड़ादायक चोट पहुंचाने का अपराध माना गया था। जबकि पीड़ित महिला/व्यक्ति के पुर्नवास व मदद के लिये किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

जुलाई, 2009 में जस्टिस ए0आर0लक्ष्मणन की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग द्वारा लक्ष्मी नामक पीड़ित महिला की रिट पिटीशन (criminal) संख्या 129/2006 पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट संख्या 226 जुलाई 2009 में प्रस्तुत की, जिसमें विधि आयोग द्वारा एसिड अटैक के मामलों को विशिष्ट अपराध की श्रेणी में रखते हुए पीड़ित व्यक्ति/महिला को मुआवजा देने हेतु भारतीय दण्ड संहिता में अतिरिक्त प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।

आयोग ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320, 322, 325 व 326 की व्याख्या करते हुए इन धाराओं के अर्न्तगत एसिड अटैक के मामलों की विवेचना किये जाने को अपर्याप्त माना व माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करने का प्रयास किया कि इस तरह के मामलों से पीड़ित महिलाओं के मुआवजे व पुर्नवास हेतु किसी प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान ही उपलब्ध नहीं है। पीड़िता लक्ष्मी द्वारा दायर रिट पिटीशन में इस तरह के मामलों के बावत भारतीय दण्ड संहिता, साक्ष्य विधि व अपराध प्रक्रिया संहिता में बदलाव किये जाने, पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास हेतु स्पष्ट नीतियॉ बनाने, साथ ही उनके पुर्नवास हेतु एक समिति गठित किये जाने की याचना भी की गई है। आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में पीड़ितों की विभिन्न मनोदैहिक पीड़ाओं को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवेचित करने का प्रयास भी किया। इसके अतिरिक्त इस बावत कई पडोसी देशों के कानूनों के कानूनों का उल्लेख करते हुए एसिड अटैक के मामलों हेतु पृथक कानून बनाये जाने की सिफारिश की। इसी क्रम में फरवरी, 2013 में आईपीसी में संशोधन करते हुए एसिड अटैक के मामलों हेतु धारा 326 ए व 326 बी आईपीसी प्रावधानित की गईं।

महिलाओं के प्रति एसिड अटैक के मामलों की स्थिति के सन्दर्भ में यदि ऑकड़ों की बात की जाये तो वर्ष 2013 तक भारत में एसिड अटैक के मामलों को पृथक अपराध की श्रेणी में न रखे जाने के कारण 2013 तक बहुत स्पष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आईपीसी में संशोधन होने के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उपरान्त प्रथम बार 2014 में जब स्पष्ट ऑकड़े सामने आये तो पूरे देश में इस वर्ष इस तरह के 349 मामले दर्ज किये गये जो कि पूर्व के वर्षो अर्थात् 2012 में दर्ज किये गये 106 व 2013 में दर्ज किये गये 116 मामलों की तुलना में कहीं ज्यादा थे। गौरतलब है कि इस संख्या के अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में महिलायें इस तरह के मामलों से पीड़ित होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया इसलिये नहीं अपनाती हैं, क्योंकि उन्हें समाज में कलंकित होने का भय भी कहीं न कहीं सता रहा होता है, यदि इन मामलों को भी इन ऑकड़ों में सम्मिलित कर लिया जाये तो संख्यायें चौंकाने वाली भी हो सकती हैं। द नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार भी जेंडर आधारित अपराधों की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। इन आंकड़ों के अनुसार जहां 2011 में एसिड अटैक के 83 मामले सामने आये थे, वहीं 2021 में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 176 तक पहुंच गई, हालांकि यह संख्या 2019 में बढ़कर 249 तक पहुंच गई थी। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में साल दर साल इस तरह के सबसे अधिक मामले सामने आये, जोकि पूरे देशभर के लगभग 50 प्रतिशत तक थे। वर्ष 2021 में एसिड अटैक के मामलों में 153 पुरुषों पर चार्जशीट दायर की गई और इनमें से मात्र 07 को ही दोषी ठहराया गया।

द इण्डियन जर्नल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ने दिसम्बर 2007 में एक अनुमान के अनुसार कहा कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष सात से आठ लाख मामले बर्न इन्जुरी के सामने आते हैं। यहॉ एक बड़ी सम्भावना यह है कि यह सभी मामले मात्र दुर्घटनावश नहीं होते हैं, बल्कि इनमें से सैकड़ों–हजारों मामले एसिड अटैक जैसी घटनाओं के भी हो सकते हैं। अचम्भित करने वाली बात है कि हमारे देश में 2013 से पूर्व इस तरह के मामलों हेतु कोई पृथक कानून ही नहीं था एवं न ही पीड़ितों के पुर्नवास हेतु कोई निश्चित कानून या रूपरेखा ही थी। जबकि सत्तर के दशक में अस्तित्व में आया हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश इस मामले में बहुत पहले से सक्रिय था। यहां सच यह भी है, कि बांग्लादेश में एसिड अटैक के मामलों की संख्या वैश्विक स्तर पर दर्ज की गई संख्याओं में सर्वाधिक या उसके आसपास है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि भारत में भी इस तरह के मामलों को नगण्य नहीं कहा जा सकता।

इन ऑकड़ों का विश्लेषण करने व पीड़ितों के पुर्नवास की स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि सरकारी नीतियों के वजूद में आने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव इस दिशा में होता नहीं दिख रहा है। यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या केवल हम सरकारी नीतियों व कानूनों के दम पर इस तरह के मामलों को रोक सकते हैं, एक तरफ तो सरकारी नीतियों व कानून हमारे देश में कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हम विकास की दौड़ में कहीं न कहीं अपने नैतिक मूल्यों को खोकर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छवि को भी धूमिल करते जा रहे हैं। मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा दो महिलाओं पर किये गये यौन अत्याचार इसके सबसे ताजा उदाहरणों में से एक हैं। जहॉ तक भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात है, प्राचीनकाल में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टि डालने पर हम पाते हैं कि महिलायें कहीं न कहीं अपने अस्तित्व के लिये लड़ती रही हैं, परन्तु एक सच यह भी है कि हमारे प्राचीनकाल से ही भारत में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता रहा है, फिर कालान्तर में ऐसा क्यों हुआ कि हम महिलाओं के प्रति इतने क्रूर हो गये कि तेजाब डालकर उसके शरीर को क्षत–विक्षत करने तक पर उतारू हो जाते हैं। सम्भव है

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

कि हम विकास की दौड़ में अपने नैतिक मूल्यों को जिस प्रकार तिलांजलि दे रहे हैं और महिलाओं को पुरुषों के समान मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने लायक न मानकर जेंडर आधारित भेदभाव कर रहे हैं, उसी का एक दुष्प्रभाव विकृत मानसिकता वाले नागरिकों के रूप में हमारे सामने आ रहा हो, जोकि एसिड अटैक जैसे कृत्यों को अंजाम देने को बेहद सामान्य सा अपराध समझते हैं।

यदि बात एसिड अटैक से प्रभावित पीड़िताओं के पुर्नवास की ही की जाये तो हम देखते हैं कि कुछ गैर सरकारी संगठन इस मामले में सक्रिय हैं, जबकि आंशिक रूप से सरकारी स्तर पर भी इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि इस घटना के उपरान्त क्या पीड़ित महिलायें पुनः अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में सक्षम हो पाती हैं, इस प्रश्न का अति सम्भावित उत्तर नकारात्मक ही होगा। जाहिर है कि किसी महिला के जीवन को इस प्रकार अस्त–व्यस्त करने की मानसिकता रखने वाले अपराधी या तो इस प्रकार के मामलों के लिये बनाये गये कानूनों से अनभिज्ञ होते होंगे या फिर कानून से बेखौफ। यदि केवल कानून बनाये जाने से ऐसे मामलों को समाप्त किया जाना सम्भव होता तो कई प्रकार के अपराध हमारे समाज से खत्म हो गये होते और उनके लिये बनाये गये कानून निष्प्रयोज्य ही हो चुके होते।

**महिलाओं के प्रति ऑनर किलिंग के मामलों से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण–** इस सन्दर्भ में यदि ऑकड़ों की बात की जाये तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फण्ड के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5000 महिलाओं/लड़कियों की हत्या ऑनर किलिंग के नाम पर विश्वभर में की जाती हैं, जबकि रॉबर्ट कीनर ने अपने अध्ययन Can Murders of Women and Girls be Stopped के आधार पर कहा है कि विश्वभर में लगभग 20000 महिलाओं/लड़कियों की हत्या पुरुषों द्वारा सिर्फ इसलिये कर दी जाती है, क्योंकि वह पुरुष प्रधान समाज की तथाकथित आचार संहिताओं का उल्लंघन कर परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। भारतीय सन्दर्भ में ऑनर किलिंग के मामलों की बात की जाये तो हमारे देश के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली इस तरह के मामलों में सबसे आगे हैं। भारतवर्ष में इस तरह की घटनायें सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों से सामने आती हैं। इन राज्यों में जातिगत खाप पंचायतों एवं अन्य गैर कानूनी जातिगत सभाओं द्वारा महिलाओं व लड़कियों की हत्याओं के फरमान मात्र इसलिये जारी कर दिये जाते हैं, कि उनके द्वारा उस गोत्र, जाति या धर्म विशेष से बाहर जाकर परिवार की इच्छा के बिना विवाह कर लिये जाते हैं। ऑनर किलिंग के मामलों को लेकर यदि विधिक स्थिति की बात की जाये तो ऑनर किलिंग के कारण की गई हत्याओं के मामले आईपीसी की धारा 300 के तहत विचारित किये जाते हैं। जबकि इस तरह की अवैध खाप पंचायतों व जातिगत सभाओं के विरुद्ध आईपीसी की धारा 141 व 149 के अर्न्तगत कार्यवाही की जाती है।

न्यायमूर्ति पी वी रेड्डी की अध्यक्षता वाले भारतीय विधि आयोग ने अगस्त 2012 में Prevention of Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances (in the name of Honour and Tradition): A Suggested Legal Framework नामक रिपोर्ट संख्या 242 तत्कालीन विधि मंत्री सलमान खुर्शीद के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें आयोग ने

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

ऑनर किलिंग के मामलों हेतु उपर्युक्त प्रावधानों अर्थात् धारा 300 आईपीसी व धारा 141 व 149 को इन मामलों के विचारण हेतु अपर्याप्त मानते हुए पृथक कानून बनाने हेतु सिफारिश की थी। ऑनर किलिंग के मामलों के लिये पृथक से कोई कानून न होने के कारण इस तरह के मामलों हेतु बहुत स्पष्ट ऑकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु जिस तरह से हम आये दिन ऑनर किलिंग के मामले देखते हैं, हमारे देश में इनकी संख्याओं को नगण्य तो नहीं माना जा सकता। पंजाब पुलिस द्वारा संकलित ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2008 से 2010 के मध्य 34 हत्यायें ऑनर किलिंग के नाम पर हुई, जिसमें वर्ष 2008 में 10, वर्ष 2009 में 20 व वर्ष 2010 में 04 हत्यायें शामिल हैं। The India Democratic Women's Association के द्वारा संकलित ऑकड़ों के अनुसार केवल पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग के नाम पर प्रतिवर्ष लगभग 900 महिलाओं/लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि लगभग 200 से 300 हत्यायें अन्य सभी राज्यों को मिलाकर प्रतिवर्ष देशभर में ऑनर किलिंग के नाम पर कर दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से ऑनर किलिंग के कई मामले आये दिन विभिन्न समाचार–पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सामने आते रहते हैं। इनमें से कई मामलों को समाज के तथाकथित सम्मानीय लोगों द्वारा बिना किसी विधिक विचारण के ही समाप्त करा दिया जाता है। हाल के वर्षों में ऑनर किलिंग के नाम पर की गई हत्याओं में सबसे बड़ा नाम आरुषि तलवार का आता है। इस मामलें में जिस तरह से सीबीआई जॉचोंपरान्त भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह मामला ऑनर किलिंग का ही था, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षित वर्ग भी आज तक पुरानी प्रथाओं व रुढ़ियों को भुलाकर नवाचारों व नव परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है एवं बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने परिवार को सुस्थापित नहीं कर पा रहा है। बात चाहें आरुषि तलवार की हो, भागलपुर बिहार की घटना में 16 वर्षीय इमराना की हो, या फिर जून 2015 में रूबीना आलियाज बानो द्वारा अपनी पुत्री अफरोज की हत्या किया जाना हो, इस तरह के मामलों के पीछे सदैव ही परिवार की तथाकथित प्रतिष्ठा या साख को ठेस पहुंचना ही होता है, जिसके धूमिल होने के कारण पुरुष प्रधान समाज के सदस्य अपने ही परिवार की महिलाओं व पुत्रियों को मौत के घाट उतारने में देरी नहीं करते हैं।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित विमर्श और जेंडर आधारित हिंसा–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में महिलाओं/बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित विमर्श को अध्याय–6 में **समतामूलक और समावेशी शिक्षाः सभी के लिये अधिगम** विषय के अर्न्तगत शामिल किया गया है। अध्याय 6 के द्वितीय खण्ड (6.2) के अर्न्तगत महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित (एसईडीजी) वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि, 'अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में यह गिरावट सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों में अधिक है और विशेषकर इन एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है।' आगे उपखण्ड 6.2.1 इस बात की भी स्वाकारोक्ति है कि, 'यू–डीआईएसई 2016–17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किन्तु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 प्रतिशत हो गया है। नामांकनों में ये गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6 प्रतिशत और

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

6.8 प्रतिशत) और दिव्यांग बच्चों (1.1 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत) के लिये अधिक गम्भीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिये इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।'

इसी क्रम में अध्याय 6 के खण्ड 4 में एसईडीजी समूह के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित छात्रवृत्ति, माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिये साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियां और योजनायें चलाये जाने की बात करते हुए कहा गया है कि इन सब प्रयासों से कुछ क्षेत्रों में एसईडीजी की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ जाने की बात कही गई है, साथ ही इन नीतियों और योजनाओं को सफल मानते हुये पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किये जाने की सिफारिश की गई है।' उपखण्ड 6.5 में साइकिल प्रदान करने और स्कूल तक पहुंचने के लिये साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों के आयोजन को महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के सन्दर्भ में विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरने का दावा भी किया गया है।

उपखण्ड 6.7 में अल्पप्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में महिलाओं की भागीदारी को आधी संख्या के रूप में भी स्वीकारा गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि दुर्भाग्यवश एसईडीजी के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। नीति में लड़कियों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने को उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को उपर उठाने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस नीति के माध्यम से इस बात की सिफारिश करने की भी बात की गई है कि एसईडीजी वर्ग के अर्न्तगत आने वाले विद्यार्थियों के उत्थान के लिये बनाई जा रहीं नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केन्द्रित होना चाहिये।

उपखण्ड 6.8 में वर्णित किया गया है कि, 'इसके अलावा, भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिये राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है।' इस निधि के अर्न्तगत स्वच्छता व शौचालय से सम्बन्धित सुविधायें, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि को बालिकाओं की पहुंच शिक्षा तक बढ़ाने के साधन के तौर पर देखा गया है। साथ ही इसी उपखण्ड में यह भी जोड़ा गया कि, 'यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने व उसे और बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनायेगा जो महिला व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा।' इस उपखण्ड के अंत में कहा गया कि इस नीति का उद्देश्य लिंग अथवा अन्य किसी आधार पर वंचित समूह के बच्चों को शिक्षा तक पहुंच में शेष असमानता को समाप्त करना होगा।

उपखण्ड 6.9 में छात्रावास बनाने और इनमें लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने की मंशा व्यक्त की गई है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उपखण्ड 6.19 में यह नीति यह भी स्वीकार करती है कि उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय महिलाओं सहित एसईडीजी के अर्न्तगत आने वाले सभी बच्चों के पूर्ण समावेश और समता को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण होते हुये भी अपर्याप्त ही हैं और इसके लिये विद्यालय की संस्कृति में बदलाव को जरूरी बताया गया है और इस प्रकार के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु शिक्षा के सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाये जाने की बात भी गई है।

उपखण्ड 6.20 में भी शिक्षकों व अन्य विद्यालय कर्मियों को संवेदनशील बनाने की बात कही गई है और स्कूली पाठ्यक्रम में भी लैंगिक समानता और समता को शामिल किये जाने की बात कही गई है और साथ ही इसमें विभिन्न लिंग आधारित पहचान के बारे अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल करने की बात कही गई है, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। आश्वासन यह भी दिया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादिता को हटा दिया जायेगा।

**विश्लेषणात्मक व्याख्या व निष्कर्ष–** महिलाओं के प्रति यौन शोषण, एसिड अटैक व ऑनर किलिंग के मामलों से सन्दर्भित आंकड़ों के उपर्युक्त विश्लेषण के बाद सरकारी स्तर पर इस दिशा में हुए प्रयासों को नगण्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु सरकारी नीतियों के यथार्थ कार्यान्वयन के उपरान्त भी इस दिशा में पूर्ण रूप से सकारात्मक परिणाम अद्यतन सामने न आना इस ओर इंगित करता है कि समस्या के समाधान के अन्य विकल्पों को भी तलाशना पड़ेगा। गौरतलब है कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और विकृत मानसिकता जिस तरह से हमारे समाज में पनपी है, उसके मूल में कहीं न कहीं हमारा सामाजिक ढांचा ही उत्तरदायी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा पर जिस प्रकार जोर दिया जा रहा है, समाज का अधिकांश भाग शिक्षा से अछूता नहीं रह गया है। सरकारी स्तर पर समाज को शिक्षित करने के प्रयास भी जोरों–शोरों से होते रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के तथाकथित शिक्षित वर्ग के पुरुष सदस्य भी जब महिलाओं के प्रति यौन शोषण, एसिड अटैक व ऑनर किलिंग जैसे मामलों में संलिप्त पाये जाते हैं, तो यह हमारी शिक्षा–व्यवस्था पर कुठाराघात कर एक बड़ा प्रश्न–चिह्न लगाने का काम करता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का स्वभाव मानव सभ्यता के आरम्भ से ही रहा है, लेकिन इस स्वभाव को पर्याप्त सीमाओं में रखकर मानव क्षमताओं का सही स्थान पर प्रयोग करने का कार्य भारत जैसे देश में नैतिक मूल्यों की शिक्षा ने ही किया है, लेकिन खेद का विषय यह है कि इन नैतिक मूल्यों में जेंडर संवेदनशीलता जैसा विचार अद्यतन अपना स्थान नहीं बना सका है।

हमारे देश में प्राचीनकाल से ही मूल्यपरक नैतिक शिक्षा प्रदान कर मानव स्वभाव को स्वनिर्मित व संयत सीमाओं में रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन कालान्तर में हमारे पुरुष प्रधान समाज और जेंडर असंवेदनशील समाज में एक ओर तो महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होते रहे और दूसरी ओर भौतिकता की दौड़ में हमारे सामाजिक मूल्यों का भी पतन होता रहा, जिसके परिणामस्वरूप हमारे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक भावनायें बलवती होती रहीं। भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा विश्वभर में किसी से छुपी नहीं हुई है, लेकिन हम भौतिकवाद की होड़ में अपने सामाजिक मूल्यों व अपनी सांस्कृतिक पहचान को तिलांजलि देते जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 आने के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज को मशीनी युग की ओर तो अग्रसर

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

कर रही है, परन्तु मूल्यों की ओर समुचित ध्यान न दिये जाने के कारण विकृत मानसिकता वाला एक वर्ग भी पनपता जा रहा है, जो आये दिन एसिड अटैक, महिलाओं के यौन उत्पीड़न व ऑनर किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा है। सामान्य रूप से भी यदि हम समाज की ओर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि हम समाज के बालकों को विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय भेजते हैं, जहॉ उन्हें समानता व नैतिकता सम्बन्धी विचार उनके पाठ्यक्रम में भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन विद्यालय की सीमा से बाहर निकलते ही हम बालकों द्वारा इन विचारों का अनुकरण करने हेतु कभी अभिप्रेरित नहीं करते। हमारे रुढ़िवादी समाज ने सदैव महिलाओं को पुरुष के उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है और पुरुष की प्रधानता की भावना को बलवती करने का ही प्रयास किया है, जिसने समाज में जेंडर विषमता को ही मजबूत बनाया है, इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में समानता व नैतिकता सम्बन्धी विचार मात्र औपचारिकता मात्र बनकर ही रह गये हैं। स्थिति यह है कि हम मूल्य वर्धित कर प्रणाली को तो अपने सामाजिक विकास के लिये आवश्यक मानते हैं, लेकिन मूल्यों की शिक्षा को कोई मूल्य नहीं दे रहे हैं, हम शिक्षा को जेंडर संवेदनशील बनाने के प्रयास नहीं कर रहे। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति यौन शोषण, एसिड अटैक व ऑनर किलिंग जैसे मामलों से निपटने के लिये आज हमें अपने शैक्षिक व सामाजिक ढॉचें में भी एक बड़े बदलाव की जरूरत है और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था और उसके हितधारकों को जेंडर संवेदनशील बनाने की बेहद आवश्यकता है।

यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की ही बात की जाये तो इसमें भी जेंडर आधारित विषमता को दूर करने हेतु सतही तौर पर ही प्रयास नजर आते हैं, जोकि सामाजिक संरचना में व्याप्त जेंडर पूर्वाग्रहों और स्त्रीद्वेष को समाप्त करने के दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं है, चूंकि इस प्रकार के सतही प्रयास तो पूर्व में आई तमाम नीतियों में दृष्टिगोचर होते रहे हैं, उदाहरण के तौर पर इस नीति में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित छात्रवृत्ति, माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिये साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियां और योजनायें चलाये जाने की बात कही गई है, आज जब हम चांद तक पहुंच गये हैं आर्टीफिशियल इंटैलीजेंस जैसी तकनीक सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है तो उस दौर में इस तरह के प्रयासों को अपर्याप्त ही कहा जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वर्णित विभिन्न प्रयास प्रत्यक्ष तौर पर स्त्रियों को बाकी सभी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के समान ही वंचित मान रहे हैं, जबकि इन सभी वंचित बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में भी स्पष्ट रूप से महिलायें प्रत्येक स्तर पर वंचित होते हुये देखी जा सकती हैं। तब यह असमानता का दंश झेलने वाले सबसे बड़े समूह को बाकी सभी वंचित समूहों के समान उपचार उपलब्ध कराना कितना सफल साबित होगा, यह यक्ष प्रश्न है। बेहतर होता कि जेंडर के आधार पर वंचित समूह के लिये इस नीति में पृथक से एक खण्ड जोड़कर मूल कारणों के निदान और उपचार पर विमर्श किया जाता। इस सबके अतिरिक्त भी पूरे के पूरे समाज को यह समझना भी बेहद जरूरी है कि जब तक स्त्री को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराकर प्रत्येक स्तर पर गरिमापूर्ण जीवन के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते और इस असमानता के मूल कारणों को

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

जानकर उपचार नहीं किया जाता, तब तक स्त्रियों के प्रति हिंसा के मामलों का ग्राफ घटाना सम्भव नहीं है।

हिंसा को नियंत्रित करने हेतु प्रशासनिक तथा कानूनी उपचार तो लिये ही जाने चाहिये, परन्तु केवल प्रत्यक्ष तौर पर दिखते लक्षणों को दबाना ही किसी बीमारी का वास्तविक उपचार नहीं हो सकता। कारणों के मूल में जाकर उनका उपचार किये बिना केवल लक्षणों को दबाना किसी भी रोग को अंदर ही अंदर बढ़ाता ही है। स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा के मूल में भी जेंडर आधारित पूर्वाग्रहों से उत्पन्न स्त्रीद्वेष का होना ही है, इसमें सुरक्षा उपाय एक प्रकार से लक्षणों का इलाज करना ही है। विभिन्न योजनाओं, नीतियों तथा कार्यक्रम मिलकर भी बीमारी का पूर्णतः इलाज कर पाने में असमर्थ ही रहते हैं, क्योंकि परस्पर विश्वास तथा निर्भयता के माहौल का निर्माण रातोंरात नहीं होता, एक निर्भय सभ्य समाज का निर्माण सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक जिम्मेदार को अपनी भूमिका को 100 प्रतिशत ईमानदारी से वहन करना पड़ता है, एक रोगी समाज के नागरिक भी रोगी ही होते हैं। अतः पहली जरूरत जेंडर आधारित हिंसा जैसी समस्या के मूल कारणों को पहचानना जरूरी है, तब इसके लिये प्रत्येक स्तर पर प्रयास किये जायें, तो इन प्रयासों के फलीभूत होने की सम्भावना निश्चित तौर पर बढ़ जायेगी।

## सुझाव–

1. सामाजिक संरचना में व्याप्त जेंडर आधारित हिंसा के मूल कारणों को जानने हेतु जमीनी स्तर पर प्रयास किये जायें और सामाजिक संरचना से जेंडर असमानता और स्त्रीद्वेष को समाप्त करने के प्रयास किये जायें।
2. सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था और उसके हितधारकों को जेंडर संवेदनशील बनाने के प्रयास जमीनी स्तर पर किये जायें।
3. उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा स्तर पर सभी विद्यार्थियों को महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों व उनसे सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों को पाठ्यक्रम में शामिल कर उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाये।
4. नैतिक मूल्यों सम्बन्धी शिक्षा को न केवल सैद्धान्तिक, बल्कि व्यवहारिक रूप में भी लागू करने के प्रयास किये जायें।
5. शिक्षक शिक्षा में भी भावी शिक्षकों के पाठ्यक्रम में विषय–वस्तु को मूल्यों से सम्बद्ध कर और जेंडर संवेदनशील बनाकर पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किया जाये।

## सन्दर्भ–सूची–

1- REPORTER, S. (2010). More than 1000 honour killings in India every year: experts. The Times of India, 4 (Retrieved from: http://timesofindia.indiatimes.com/india/More-than-1000-honour-killings-in-India-every-year-Experts/articleshow/6127338.cms (19-02-2016)

2- DHNS, (2012). 17 percent of Indian working women face sexual harassment, Deccan Herald (Retrieved from: http://www.deccanherald.com/content/294791/17-percent-indian-working-women.html)

3- Rana, P. K., & Mishra, B. P. (2013). Honour Killing: A gross violation of human rights, its challenges. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2(6), 24-29. (Retrieved from: https://www.academia.edu/download/31549648/E0262024029.pdf )

4- Basu, N. (2013). Honour killings: India's crying shame. AlJazeera (Retrieved from: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/11/honour-killings-india-crying-shame-20131127105910392176.htmls)

5- Basu, I. (2014). 848 Indian Women Are Harassed, Raped, Killed Every Day, Huffpost.

6- (Retrieved from: http://www.huffingtonpost.in/2014/12/16/crime-against-women-india_n_6330736.html)

7- Panday, P. (2015). Sexual harassment cases at workplace more than double in 2014. The Hindu. (Retrieved from http://www.thehindu.com/business/sexual-harassment-cases-at-workplace-more-than-double-in-2014/article7924191.ece)

8- PTI, (2015). 526 cases of sexual harassment at workplace in 2014: Maneka Gandhi, The Indian Express. (Retrieved from: http://indianexpress.com/article/india/india-others/526-cases-of-sexual-harassment-at-workplace-in-2014-maneka-gandhi/#sthash.P6Y69ZM9.dpuf)

9- Lal, N.(2015). Acid Attacks Still a Burning Issue in India, Inter Press Service News Agency (Retrieved from: http://www.ipsnews.net/2015/04/acid-attacks-still-a-burning-issue-in-india/ )

10- Sahu, M. (2015). Honour killing': Woman held for daughter's murder. The Indian Express.

11- (Retrieved from: http://indianexpress.com/article/india/crime/honour-killing-woman-held-for-daughters-murder/#sthash.RNDzX17c.dpuf )

12- Chakrabarty, S. (2023). Acid attack victims failed by lack of a cohesive law, legal process. The Hindu. (Retrieved from: https://www.thehindu.com/news/national/their-lives-scarred-by-acid-attacks-victims-of-the-gender-based-crime-need-stronger-legislative-support/article66338486.ece)

13- Law Commision of India (n.d.). Prevention of Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances (in the name of Honour and Tradition): A Suggested Legal Framework. Report no. 242 of Law Commision of India.

14- NEP (2020). National Education Policy-2020. Ministry of Education, GoI.